संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिए भत्ते) नियम, 1960

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1960

सा0का0नि0 830 - निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (घघघ) द्वारा इन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद बनाये गये हैं, और उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा, अपेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा पुष्ट कर दिए गए हैं, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है:-

संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिये भत्ते) नियम, 1960

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - (1) ये नियम संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिए भत्ते) नियम, 1960 कहलायेंगे।

(2) ये 30 दिसम्बर, 1958 से प्रवृत समझे जाएंगे परन्तु इन नियमों के राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले ही तय किया जा चुका कोई दावा इन नियमों में निहित किसी उपबंध के कारण फिर से उठाया नहीं जाएगा।

2. विदेश यात्रा के संबंध में भत्ते - जहां सदस्य के नाते अपने कर्त्तव्यों के पालन में निमित्त कोई सदस्य भारत से बाहर कोई यात्रा करे, तो वह ऐसी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित यात्रा और अन्य भत्तों का हकदार होगा, अर्थात्:-

(एक) (1) **यात्रा भत्ता:-** सदस्य द्वारा भारत में की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता संदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 की धारा 4 और उसकी धारा 9 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार विनियमित होगा।

(2) **मार्ग व्यय:-** भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए भारत में विमान या जहाज पर चढ़ने के अन्तिम हवाई अड्डे या बन्दरगाह से विदेश में जिस स्थान को जाये वहां तक और वहां वे वापस आने के निकटतम मार्ग से नि:शुल्क वापसी विमान-रेल-व-समुद्र मार्ग व्यय विमान और रेल यात्राओं में पहले दर्जे का और समुद्र से यात्रा में पहले दर्जे-सी श्रेणी का अथवा इससे किसी निम्न श्रेणी का, जिससे सदस्य वस्तुत: यात्रा करे, मार्ग व्यय दिया जायेगा। रेल यात्रा में रात्रि के समय सोने का स्थान (स्लिपिंग बर्थ) शामिल होगा।

(3) **सामान:-** सदस्य अपने साथ [1](40 किलोग्राम) तक सामान जिसमें वायु परिवहन कम्पनियों द्वारा जितना सामान नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है वह भी शामिल है, ले जा सकता है।

(दो) (1) दैनिक भत्ता:- विदेश में अपने कार्य के सिलसिले में काम के स्थान पर बिताई गई रातों के आधार पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के श्रेणी-I के पदाधिकारी को जितना दैनिक भत्ता मिल सकता है उतना दिया जाएगा।

(2) रेल यात्रा की अवधि में भी दो-तिहाई भत्ता दिया जाएगा, यदि दिये गये रेल भाड़े मे भोजन का खर्च शामिल न किया गया हो।

(3) भारत से बाहर भेजे जाने की अवधि के लिए सदस्यों को किन्हीं अन्य नियमों के अधीन मिल सकने वाला दैनिक भत्ता लेने का हक नहीं होगा।

(तीन) **अन्य व्यय:-** सदस्य निम्नलिखित का हकदार है:-

(1) रास्ते में जहां बाध्य होकर रूकना पड़े और वायु कंपनियां भोजन तथा निवास की व्यवस्था न करें वहां रुकने के स्थान पर मिलने वाले अधिकतम दैनिक भत्ते की राशि पर नि:शुल्क भोजन और निवास का व्यय;

(2) रसीदें प्रस्तुत करने पर पारपत्र शुल्क और चेचक के टीके तथा अन्य टीकों के प्रमाण-पत्रों पर वास्तविक व्यय;

(3) आवश्यक वाउचर प्रस्तुत करने का कर्तव्य पालन के समय किये गये आनुषंगिक व्यय, जैसे बख्शीश, टैक्सी का किराया और घोड़ा/गाड़ी का भाड़ा:

परन्तु यह कि जहां वस्तुत: किये गये या आनुषंगिक व्यय की रसीदें या वाउचर उपलब्ध न हों तो व्यय सदस्य के इस प्रमाण-पत्र के आधार पर दे दिया जाएगा कि यह वस्तुत: किया गया था।

3. जो सदस्य नियम 2, (III) के अधीन वास्तविक या आनुषंगिक व्यय की मांग करे उसे निम्नलिखित रूप में प्रमाण-पत्रों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि करनी होगी:-

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि पारपत्र शुल्क, चेचक के टीके और अन्य टीकों के प्रमाण-पत्रों पर किये गये व्यय प्रतिनिधिमंडल के काम के हित में थे और टैक्सी के किराये आदि की दरें प्रचालित दरों के अनुसार हैं तथा इन चीजों पर किया गया व्यय उचित था।

---

[1] दिनांक 12 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1889 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि बख्शीश का व्यय, जो बीजक में शामिल किया गया है वस्तुत: किये गये व्यय से अधिक नहीं है।

[संख्या 61-एम0एस0ए0/59]